मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2005 (माघ 28, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. विद्यानिवास मिश्र तथा भूतपूर्व सदस्य विधानसभा श्री विजय सिंह के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये.

मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्य श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 10.38 बजे 5 मिनिट के लिये स्थगित होकर 10.46 बजे *पुनः* प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 55 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 73 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य कल दिनांक 16.02.2005 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री, श्री गोपाल भार्गव द्वारा की गई कथित टिप्पणी की बात कहते हुए गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात वापस अपने आसन पर चले गये ।)

3.पृच्छा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान की गई कथित टिप्पणी

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 16.02.2005 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री, श्री गोपाल भार्गव द्वारा की गई कथित टिप्पणी संबंधी मामला उठाया गया।

श्री गोपाल भार्गव,कृषि मंत्री द्वारा खेद व्यक्त किये जाने पर मामला समाप्त हो गया ।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में बिजली के खंभों पर तार नही होने से किसान की खेती एवं छात्र की पढ़ाई प्रभावित होने,

(2) डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में पीने के पानी में फ्लोराईड की मात्रा अधिक पाई जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने जिला भोपाल में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के शौचालयों की स्थिति खराब होने।

(4) डॉ. सुनीलम् , सदस्य ने खरगौन जिले के पोखराबाद में एक किसान द्वारा कर्ज से तंग आकर आत्महत्या किये जाने,

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा , सदस्य ने कोलार रोड़ स्थित ललिता नगर में बिना लायसेंस के मांस की दुकान के संबंध में,

(6) श्री दुर्गालाल विजय,सदस्य ने श्योपुर जिले में कार्यरत शिक्षा कर्मी को वेतन का भुगतान न किये जाने, तथा

(7) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य ने मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति आदेश न देने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने -

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001; तथा

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री, परिवहन ने रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2002-2003 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

पटल पर रखे.

6.ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री मारोतराव खवसे, नानालाल पाटीदार, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया

(2) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य ने जिला भोपाल स्थित बाग दिलकुशा क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही से हत्या की घटना होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री आरिफ अकील सदस्य उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के विरोध में गर्भगृह में आये तथा वापस अपने आसन पर चले गये.)

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम जैरोंन खालसा से पृथ्वीपुर तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम ओरछा तिगेला से ओरछा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की पदस्थापना कराये जाने,

(घ) ग्राम खिस्टौन से झिंगोरा व्हाया कुलुआ तक पक्की सड़क बनाये जाने,
(ड.) ग्राम प्रतापपुरा से बसोबा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(च) ग्राम पठाराम से धमना तक पुलियों सहित पक्की सड़क बनाये जाने,
(छ) ग्राम टेहरका से घुघसी तक पक्की सड़क बनाये जाने,
(ज) ग्राम घूंघटा घाट के पुल की मरम्मत कराये जाने,
(झ) ग्राम भोपालपुरा से ममौरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ञ) ग्राम पाराखेरा से काकावनी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा
(ट) पर्यटन स्थल ओरछा में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संबंधी दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003 पर चर्चा.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री लाल सिंह आर्य (भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

(सुश्री उमा भारती, सदस्य के सदन में उपस्थित होने पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उनके पांव छूकर अभिवादन किये जाने पर नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी सहित विपक्ष के कांग्रेस के अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति उठाई गई जिससे व्यवधान होने पर सदन की कार्यवाही 12.55 बजे 2.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.)

(12.55 बजे से 2.34 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए

9. पृच्छा

सुश्री अनीता मालवीय,डी.एस.पी. को निलंबित किये जाने संबंधी दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाना।

श्रीमती जमुना देवी,नेताप्रतिपक्ष द्वारा सुश्री अनीता मालवीय डी,एस.पी. को निलंबित किये जाने संबंधी दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की गई ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर कहा गया कि कार्यमंत्रणा समिति ने जो बिजनेस तय किया है उसके आधार पर ही विधान सभा में प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है । स्थगन प्रस्ताव के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य माननीय अध्यक्ष से उनके कक्ष में जाकर चर्चा कर लें.

(श्रीमती जमुना देवी,नेताप्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सुश्री अनीता मालवीय डी.एस.पी. के निलंबन पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

10. प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमशः)

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संबंधी दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003 पर चर्चा. (पूर्वानुबद्ध)

श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया

(श्री आरिफ अकील एवं श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात कहते हुए विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(5) श्री दरबू सिंह उइके

(श्री गणेश सिंह, सांसद की सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।)

(6) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(7) डॉ. सुनीलम

(8) श्री भूपेन्द्र आर्य

(9) श्री मनमोहन शाह बट्टी

(10) श्री इन्द्रजीत कुमार

(11) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(12) श्री निशिथ पटेल

(13) श्रीमती जमुना देवी,नेता प्रतिपक्ष

श्री कैलाश विजयवर्गीय,संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

05.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2005 (माघ 29, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.